निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–13.01.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 03:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 08 जनवरी, 2026 तक मात्र 1999.00 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो कि काफी कम है।

राजस्व समाहरण में जनवरी, 2025 की तुलना में जनवरी, 2026 की वसूली में कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों का प्रतिशत काफी कम है यथा–भोजपुर, रोहतास, पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, सीवान एवं मधेपुरा। इन 25 जिलों को सचेत किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में कुछ ही दिन शेष है, अतएव् राजस्व समाहरण में व्यक्तिगत रूची लेते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। ऐसे जिले जिनके औसत दैनिक समाहरण दैनिक औसत लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, वैसे जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी से अविलम्ब स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय। अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को निदेश दिया गया कि प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/
अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग)

2. **बालूघाटों के नीलामी/नीलामित बालूघाटों के संचालन/प्रत्यार्पित बालूघाटों की पुनर्निलामी की समीक्षा :–**

(i) राज्यान्तर्गत कुल–463 पीला बालू के बालूघाटों में से वर्तमान में 290 बालूघाट/कलस्टर नीलामित है तथा वर्तमान में 177 बालूघाट अनीलामित है। पीला बालूघाट वाले जिलों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाए।

(ii) राज्यान्तर्गत कुल उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं0–541, वर्तमान में नीलामित–77 एवं अनीलामित–464 है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि

अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर नीलामी की कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाए।

(iii) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0 78 है, जिसमें से मात्र 07 बालूघाटों की नीलामी करायी गई है। इस संबंध में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निविदा का प्रकाशन कराकर नीलामी की कार्रवाई की जाए।

(iv) जिन जिलों में बालूघाटों की नीलामी सम्पन्न हो गई है एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रक्रियाधीन है। ऐसे बालूघाटों के लिए EC/CTO/ Agreement से संबंधित लंबित आवेदन की समीक्षा सभी सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे एवं यथाशीघ्र बालूघाटों का संचालन कराने हेतु कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. <u>माननीय उच्च न्यायालय में लंबित CWJC/MJC एवं अन्य मामलों की समीक्षा</u>:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल, औरंगाबाद, पटना, बाँका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, सारण एवं वैशाली जिलों में माननीय न्यायालय से संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 में प्रतिशपथ दायर किया जाना लंबित है। सभी संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारियों को लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ दायर करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :– सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. <u>अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई</u> :–

अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए राजस्व समाहरण के दृष्टिकोण से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है:–

- पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र के बाहर/अधिक गहराई पर खनन करने के संबंध में सभी बालूघाटों पर सघन जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
- अनीलामित बालूघाटों पर अवैध उत्खनन की सघन जाँच की जाय एवं संलिप्त अवैधकर्त्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनसे नियमानुसार दण्ड की वसूली की जाय।
- ऐसे वाहन जिनके मालिक/प्रतिनिधि द्वारा ससमय दण्ड की राशि जमा नहीं की गयी है, ऐसे मामलों में समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर वाहनों का अविलम्ब अधिहरण, राज्यसात एवं नीलामी की कार्रवाई की जाय।

- जिलान्तर्गत शेष भंडारित जप्त बालू की अविलम्ब नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित कर निविदा का निष्पदान की कार्रवाई की जाय। इस संदर्भ में विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कार्य विभागों द्वारा अधियाचित बालू की आपूर्ति हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय।

- खान निरीक्षकों को प्रतिदिन क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध छापेमारी हेतु निदेशित करें एवं सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी इसकी समीक्षा करें एवं दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **कार्य विभाग :–**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिले में अवस्थित सभी कार्य विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, NHAI, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पुलिस भवन निर्माण विभाग लि0, शिक्षा अवसंरचना लि0 (BSEIDCL), मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (BSMICL), पंचायती राज एवं अन्य विभागों के संवेदकों/वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर खनन मद में कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **ईंट–भट्ठों से रॉयल्टी :–**

जिलान्तर्गत संचालित ईंट–भट्ठों का नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर ईंट–भट्ठों से रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **HRMS :–**

HRMS में 07 Modules यथा :– Cadre Management, Leave Management, Service Verification, Service Correction, HR Manager, Self Service एवं Asset Declaration से संबंधित विषयों पर लॉगिन कर अद्यतन प्रतिवेदन/स्थिति की विस्तृत जानकारी "विहित प्रपत्र" में मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :–अपर सचिव/आई0टी0 मैनेजर)

8. **SPARROW :–**

Performance Appraisal Report (PAR) अविलम्ब स्व–मूल्यांकन कर अपने प्रतिवेदक पदाधिकारी एवं स्वीकरण पदाधिकारी से कराते हुए वर्ष 2024–25 का PAR

से संबंधित कार्रवाई दो दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर IT Manager से सम्पर्क करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–अपर सचिव/आई0टी0 मैनेजर)

8. <u>अन्य बिन्दु :–</u>

1. बालूघाटों/ईंट–भट्ठों एवं खनन कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्यरत मजदूर का पहचान पत्र बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 29.12.2025 को सभी जिलों में आयोजित विशेष शिविर के फलस्वरूप खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या रोहतास में 03, नालंदा में 02 औरंगाबाद में 09, वैशाली में 03 एवं मुजफ्फरपुर–10 है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 16.01.2026 को पुनः खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति से संबंधित विशेष शिविर का आयोजन करें, पुराने प्राप्त आवेदनों को अविलम्ब निष्पादित करें एवं नये आवेदन को प्राप्त हेतु आमजनों को प्रेरित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. जिलों में प्रेषित शिकायत के विरूद्ध कार्रवाई हेतु लंबित ATR की संख्या वैशाली–06, गया–06, पूर्णिया–05, पटना–04, बेगूसराय–07, मुजफ्फपुर–04, जमुई–04, मुंगेर–04, किशनगंज–02, मोतिहारी–02 एवं समस्तीपुर–02 है। इस संबंध में 24 घंटा के अन्दर कार्रवाई करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

(अनुपालन :–संबंधित जिला के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. दिनांक 23.12.2025 तक जप्त किये गये वाहनों की सं0 3971, अधिहरित वाहनों की सं0 345, नीलामित वाहनों की सं0 53, नीलामी से प्राप्त कुल राशि 253.17 लाख। इस संबंध में निदेश दिया गया कि वाहन अधिहरण हो जाने पर समाहर्त्ता के न्यायालय से समन्वय स्थापित कर वाहन को अविलम्ब नीलामी करायें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. पूर्णिया, भागलपुर, गया एवं सारण जिलों को ससमय बालूघाटों की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. गोपालगंज एवं मधुबनी जिले में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 01 से 08 जनवरी तक प्राप्त समाहरण शून्य प्रतिवेदित किया गया है एवं इस संदर्भ में संबंधित खान निरीक्षक द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं देने के कारण श्री सौरभ

अभिषेक, खान निरीक्षक गोपालगंज एवं श्री दीपक कुमार महतो, खान निरीक्षक, मधुबनी से अविलम्ब स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– संबंधित पदाधिकारी (मु0))

7. SEIAA/SEAC के स्तर पर लंबित पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने संबंधी मामलों की अविलम्ब समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि माननीय उप मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक में रखा जा सके।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. जिलों में बालू का किस्त आने वाली संभावित राशि से संबंधित विवरणी "विहित प्रपत्र" में भेजने का निदेश दिया गया। अद्यतन आंकड़ों को Google sheet में भी अपडेट करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

10. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पूर्णिया जिलानतर्गत कुल 17 बालूघाट जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित् है, जिसमें एक भी बालूघाट की बंदोबस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में श्रीमती शिलिमा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूची लेकर अबंदोबस्त बालूघाट की बंदोबस्ती करायी जाय।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. <u>स्थापना (क्षेत्रीय) :–</u>

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित वादों का निराकरण अविलम्ब की जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के मुख्यालय स्तर पर वरीय पदाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति न हो। सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के स्तर पर लंबित वादों का निराकरण व्यक्तिगत जबावदेही के साथ करना/कराना सुनिश्चित करें।

2. क्षेत्रीय कर्मियों के सेवा सम्पुष्टि से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

3. क्षेत्रीय कर्मियों के ACP/MACP की वांछित सूचना विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

4. सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

5. निजी भवन में किराये पर चल रहे कार्यालय/सरकारी भवन में चल रहे कार्यालयों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में भेजें।

6. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन अविलम्ब भेजें।

7. क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के पर किसी प्रकार आरोप गठित होने /निलंबन संबंधी विवरणी अविलम्ब भेजें।

8. क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन भुगतान की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:– विविध (सा0प्र0)–04/2024–469/एम0, पटना, दिनांक :–16/01/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/26
सरकार के अवर सचिव

16.1.26